निरीक्षण आख्या कार्यालय कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, चकराता द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, चकराता की लेखापरीक्षा माह 09/2014 से 05/2016 तक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री संतोष कुमार गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री भानुप्रताप सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री विजय कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 25.06.2016 से 29.06.2016 तक सम्पादित सम्प्रेक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

भाग–प्रथम

(अ) परिचयात्मक : इस कार्यालय की विगत लेखापरीक्षा सर्वश्री सुनिल कुमार सिन्हा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं सर्वश्री सलीम खान, वरि. लेखापरीक्षक द्वारा श्री रमेश मिश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा सम्पन्न हुई थी। जिसमें खण्ड में माह 04/2008 से 08/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. लेखापरीक्षा अवधि में निम्न अधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्ष का पदभार संभाले रखा–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री एस.के. सिंह	02.09.2014 से वर्तमान तक

3. विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड में सम्बद्ध रहे– रिक्त

4. विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अद्यतन स्थिति – शून्य

5. सतत् अनियमितताएं – शून्य

6. अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित): – शून्य

7. बजटः – (धनराशि ` लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय
2014–15	744.31	643.59
2015–16	362.26	360.36
2016–17 (मई 2016 तक)	152.75	06.35

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 1 : शुद्धता जा ंच प्रणाली (Check & Balance System) रहित त्रुटिपूर्ण ऑन–लाइन डाटा फीडिंग प्रणाली।

इकाई की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि आंकड़ों की फीडिंग का कार्य 'एम.आई.सी. ऑनलाइन डाटा फीडिंग' के द्वारा किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा के दौरान ब्लॉकों से प्राप्त डाटा फीडिंग में त्रुटियां पाई गई। इन त्रुटियों के संबंध में पत्रोक सी–175/जि.का. अधि./एम.आई.एस./2016–17, दिनांक 19 मई 2016 के माध्यम से डाटा फीडिंग के दौरान होने वाले त्रुटियों को दूर करने के लिए इकाई द्वारा निर्देशित भी किया गया था। परन्तु डाटा फीडिंग के लिए किसी समुचित शुद्धता जांच प्रणाली का अभाव दिखा।

इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई ने बताया कि ब्लॉकों को दिशा निर्देश दिये जा रहे हैं।

उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि किसी समुचित शुद्धता जाचं प्रणाली (Check & Balance System) के अभाव में ब्लॉकों/ग्राम सभाओं द्वारा भेजे गए आंकड़ों की शुद्धता संदिग्ध बनी रहती है। त्रुटिपूर्ण आंकड़ों के कारण अधिक मानदेय भुगतान की संभावना बनती है।

इस प्रकार इकाई में शुद्धता जांच प्रणाली (Check & Balance System) रहित त्रुटिपूर्ण ऑन–लाइन डाटा फीडिंग प्रणाली का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 2 :– ब्याज की धनराशि ` 85692.00 को राजकोष में न जमा किये जाने तथा अनाधिकृत बैंक खाते के संचालन का प्रकरण ।

वित्त विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन के शासनादेश दिनांक 30.04.2003 एवं शासनादेश दिनांक 23.11.2009 के द्वारा समस्त विभागों को निर्देशित किया गया था कि समेकित निधि से आहरित वे सभी धनराशियाँ जो बैक मे रखी गयी हों अथवा सावधिक जमा मे रखी गयी है, को तत्काल कोषागार के विभागीय पी0एल0ए0 मे जमा कर दी जायें।

सरकारी विभागों के कार्यों हेतु बैंक मे खाता खोलने का कोई प्रावधान नहीं है जब तक कि शासन के वित्त विभाग से इस हेतु किसी विशेष अवधि के लिए अनुमति न प्राप्त की गयी हो। यदि कोई अनाधिकृत बैंक खाता खोला गया हो तो उसे तत्काल बंद किया जायें एवं खाते मे अवशेष धनराशि को विभागीय पी0एल0ए0 मे एवं उस पर अर्जित ब्याज सुसंगत लेखाशिर्ष 0049 ब्याज प्राप्तियों मे तत्काल जमा करा दी जायें।

कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, चकराता की रोकड बही एवं सम्बन्धित पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि विभिन्न योजनाओं के संचालन हेतु कार्यालय द्वारा अनाधिकृत बैंक खाते का संचालन किया जा रहा था उक्त बैंक खातों के रख रखाव हेतु शासन के वित्त विभाग से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गयी थी। इस प्रकार से संचालित बैंक खातों में लेखापरीक्षा तिथि (जून 2016) के अन्त में ` 85,692.00 बैंक खाते में जमा धनराशि पर अर्जित ब्याज की राशि थी जिसे आतिथि तक सुसंगत लेखाशीर्ष 0049 ब्याज प्राप्तियों में जमा नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आँकड़ों को स्वीकार करते हुए कहा कि उक्त ब्याज की राशि को यथाशीघ्र सुसंगत लेखाशीर्ष 0049 ब्याज प्राप्तियाँ मद में जमा करा दी जायेगी।

अतः ब्याज की धनराशि ` 85,692.00 का राजकोष में न जमा किये जाने तथा अनाधिकृत बैंक खातों के संचालन का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

भाग–तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें, जिनका समाधान/निरकारण लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं किया जा सका है, उन्हें पृथक रूप से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर अलग से कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, चकराता को इस आशय से प्रेषित की गयी की वे लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के अन्दर उसकी अनुपालन आख्या सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, सी–1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)